न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज॰

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 256 / 2022

जीसीएमएस नं. :– 2022 / 340

प्रार्थीगण :–

1. मुकनाराम पुत्र फुवाराम
2. मोहनराम पुत्र मुकनाराम
3. खींयाराम पुत्र दुर्गाराम
4. गलकूदेवी पुत्री दुर्गाराम
5. गोकलराम पुत्र दुर्गाराम
6. गोबरराम पुत्र दुर्गाराम
7. जेठाराम पुत्र दुर्गाराम
8. नैनीदेवी पत्नि दुर्गाराम
9. पुखाराम पुत्र दुर्गाराम
10. प्रतापराम पुत्र दुर्गाराम
11. हीराराम पुत्र दुर्गाराम
12. गोबरराम दत्तक पुत्र नाथुराम
13. किरताराम पुत्र लुम्बाराम
14. गिदाराम पुत्र लुम्बाराम
15. डूंगरराम पुत्र लुम्बाराम
16. रामरख पुत्र लुम्बाराम
17. तिलाराम पुत्र कानाराम
18. रूपाराम पुत्र कानाराम
19. लिछमणराम पुत्र कानाराम
20. उकारराम पुत्र मल्लाराम
21. छोटाराम पुत्र मल्लाराम
22. बुद्धाराम पुत्र मल्लाराम
23. भंगारा पुत्र मल्लाराम
24. सेहनराम पुत्र मल्लाराम

सभी जातियान माली निवासीगण तीन तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर। पीपला बेरा नानण

बनाम

अप्रार्थी :–

1. तेजाराम पुत्र चुनाराम
2. कालुराम पुत्र हापुराम
3. चेनाराम पुत्र हापुराम
4. धनारामपुत्र हापुराम
5. भीयाराम पुत्र चन्द्राराम
6. मंगलीदेवी पत्नि हापूराम
7. राजुराम पुत्र हापूराम
8. रामदीन पुत्र हापूराम
9. मदनलाल पुत्र मादूराम जातियान माली निवासीगण नानण तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर।
10. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीपाड़ शहर
11. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीपाड़ शहर
12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड. शहर जिला जोधपुर ।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थीगण की ओर से
श्री निर्मल कटारिया अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
श्री पृथ्वीराज चौहान अप्रार्थी सं. 2, 5, 6, 7, 8

आदेश

दिनांक 21.06.2023

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम नानण तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या एक व दो की खातेदारी कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 160/18 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/29 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर,

खसरा नंबर 160/33 क्षेत्रफल 0.2346 हैक्टेयर, खसरा देही नंबर 160/4 क्षेत्रफल 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/9 क्षेत्रफल 0.4530 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173/4 क्षेत्रफल 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/18 क्षेत्रफल 0.1699 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/23 क्षेत्रफल 0.2670 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/4 क्षेत्रफल 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नंबर 430/4 क्षेत्रफल 0.7200 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम नानण तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या 3 से 11 की खातेदारी कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 160/15 क्षेत्रफल 0.4450 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/16 क्षेत्रफल 0. 1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/3 क्षेत्रफल 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/30 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/36 क्षेत्रफल 0.2346 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173/3 क्षेत्रफल 0.1861 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173/9 क्षेत्रफल 0.1537 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/11 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/13 क्षेत्रफल 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/3 क्षेत्रफल 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नंबर 430/3 क्षेत्रफल 0.7200 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम नानण तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या 12 की खातेदारी कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 160/11 क्षेत्रफल 0.4450 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/2 क्षेत्रफल 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/22 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/27 क्षैत्रफल 0.1618 हैक्टयर खसरा नम्बर 160/32 क्षैत्रफल 0.2346 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 173/2 क्षैत्रफल 0.3398 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 247/17 क्षैत्रफल 0.1699 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247/2 क्षैत्रफल 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/20 क्षैत्रफल 0.2670 हेक्टेयर ,खसरा नंबर 430/2 क्षैत्रफल 0.7200 हेक्टेयर भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम नानण तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या 13 से 16 की खातेदारी कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 160/1 क्षैत्रफल 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/12 क्षैत्रफल 0.4450 हैक्टेयर खसरा नंबर 160/21 क्षैत्रफल 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/24 क्षैत्रफल 0.1618 हैक्टेयर खसरा नंबर 160/38 क्षैत्रफल 0.2346 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173/1 क्षैत्रफल 0.1861 हैक्टेयर खसरा नंबर 173/10 क्षैत्रफल 0.1537 हेक्टेयर खसरा नंबर 247/1 क्षैत्रफल 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247 / 10 क्षैत्रफल 0.1699 हैक्टेयर खत्तरा नंबर 247 / 15 क्षैत्रफल 0.2751 हैक्टेयर खसरा नंबर 430/1 क्षैत्रफल 0.7200 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम नानण तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या 17 से 19 की खातेदारी कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 160/13 क्षैत्रफल 0.4530 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/20 क्षैत्रफल 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/25 क्षैत्रफल 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/31 क्षैत्रफल 0.2346 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/7 क्षैत्रफल 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173/7 क्षैत्रफल

(9)

उपखण्ड अधि
पीपाड़ शहर

0.3398 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/16 क्षेत्रफल 0.1699 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/22 क्षेत्रफल 0.2670 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/7 क्षेत्रफल 0.1456 हैक्टेयर खसरा नंबर 430/7 क्षेत्रफल 0.7038 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में आज के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम नानण तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या 20 से 24 की खातेदारी कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नं 160/14 क्षेत्रफल 0.4530 हेक्टेयर, खसरा नंबर 160/17 क्षेत्रफल 0. 1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/ 37 क्षेत्रफल 0.2346 हेक्टेयर, खसरा नंबर 160/39 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160/6 क्षेत्रफल 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173/6 क्षेत्रफल 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/12 क्षेत्रफल 0.2670 हेक्टेयर, खसरा नंबर 247/6 क्षेत्रफल 0.1456 हेक्टेयर, खसरा नंबर 247/8 क्षेत्रफल 0.1699 हैक्टेयर खसरा नंबर 430/6 क्षेत्रफल 0.7119 हेक्टेयर भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम नानण की राजस्व सीमा मे अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 160/19, 160/28, 160/35, 160/5, 160/8, 173/5, 247/14, 247/5, 245/9, 430/5 कुल खसरा 10 कुल रकबा 3.6971 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 160, 160/10, 160/23, 160/26, 160/34, 173, 173/8, 247, 247/19, 247/21, 430 कुल खसरा 11 कुल रकबा 3.7053 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 6 में वर्णित वादग्रस्त आराजी व पद संख्या 7 में वर्णित अप्रार्थीगण की भूमियां का मूल खसरा नम्बर 160, 173, 247, 430 था। उक्त मूल खसरा नम्बर 160,173, 247, 430 का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमती से बन्टवाड़ा हो गया वादग्रस्त आराजी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 6 में आराजी प्रार्थीगण के बन्ट व खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि है व प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 में वर्णित आराजी अप्रार्थीगण की बन्टसुदा खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि है। मूल खसरा नम्बर 160 का मौके पर आपसी सहमती से बटवाड़ा करते समय आवागमन हेतु शामलाती रास्ता रखा हुआ था जिसमे पाईप लाईन बिछाई हुई, पानी की हौदियां बनी हुई है रास्ता छोड़कर दोनो तरफ तारबन्दियां की हुई है। उक्त रास्ते वाली भूमि बन्टवाड़ा के समय प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के शामलाती नहीं रखी गई लेकिन मौके पर खसरा नम्बर 160 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बन्ट वाले खेतों में आवागमन का रास्ता धूम चल रहा है। जिसकी आपसी सहमती से लिखित भी की हुई है रास्ता की चौड़ाई करीब 14 फुट है। उक्त रास्ते का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आवागमन हेतु उपयोग उपभोग ले रहे है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ मुटाम कायम करवाकर तारबंदी करवाना चाहते है। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो तथा मूल खसरा नम्बर 160 में रखे शामलाती रास्ते को छोड़ते हुए वादग्रस्त आराजी की मुण्डागढ़ी की जावे। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डें उपलब्ध करवा देगें एंव मोमीट्रेस

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

नक्शा उपलब्ध करवा देगें एंव नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देगें। अप्रार्थी संख्या 12 को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार संयोजित किया गया हैतथा अप्रार्थी संख्या 10 व 11 के पक्ष में भूमि रहन होने से तरदीदी पक्षकार संयोजित किया गया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम नानण की राजस्व सीमा में स्थित होने से उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है एंव अंदर मियाद पेश है–

अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि ग्राम नानण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा 160/18, 160/29, 160/33, 160/4, 160/9, 173/4, 247/18, 247/ 23, 247/4, 430/4, कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.7052 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/15, 160/16, 160/3, 160/30, 160/36, 173/3, 173/9, 247/11, 247/13, 247/3, 430/3, कुल खसरा 11 कुल क्षेत्रफल 3.6972 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/11, 160/2, 160/22, 160/27, 160/32, 173/2, 247/17, 247/2, 247/20.,430/2. कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.6972 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/1, 160/12 160/21,160/24, 160/38, 173/1, 173/10, 247/1, 247/10, 247/15, 430/1 कुल खसरा 11 कुल क्षेत्रफल 3.7053 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/13, 160/20 ,160/25, 160/31, 160/7, 173/7, 247/16, 247/22, 247/7, 430/7. कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.6890 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/14, 160/17, 160/37, 160/39, 160/6, 173/6, 247/12, 247/6, 247/8, 430/6, कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.6971 हैक्टेयर भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाने का तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमायें, मूल खसरा नम्बर 160 में रखे गये शामलाती रास्ते की भूमि को छोड़ते हुए पत्थरगढी / मुण्डगढी की जाने का आदेश फरमावे ।

हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. एक की ओर से वकील निर्मल कटारिया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2,5,7,8,6 की ओर से वकील पृथ्वीराज चौहान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । अप्रार्थी सं. 3, 4, 9, 10,11,12 के सम्मन बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत किया है कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के हक हिस्से में आयी भूमियो का राजस्व ट्रेस नक्शे अनुसार ही सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है एवं यह भी निवेदन किया है कि उक्त खसरान में किसी प्रकार के कोई शामलाती रास्ते छोड़े हुए नही हैं। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी सं. 2, 5, 7, 8, 6 ने जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा विधिवत् नही होकर राजस्व अभियान में बिना कब्जे की जांच की जाकर राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बनावटी तथ्यो पर आधारित होने से मय खर्चे हर्जे के खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए ग्राम नानण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा 160/18, 160/29, 160/33, 160/4, 160/9, 173/4, 247/18, 247/23, 247/4, 430/4, कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.7052 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/15, 160/16, 160/3, 160/30, 160/36, 173/3, 173/9, 247/11, 247/13, 247/3, 430/3, कुल खसरा 11 कुल क्षेत्रफल 3.6972 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/11, 160/2, 160/22, 160/27, 160/32, 173/2, 247/17, 247/2, 247/20, 430/2, कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.6972 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/1, 160/12 160/21, 160/24, 160/38, 173/1, 173/10, 247/1, 247/10, 247/15, 430/1 कुल खसरा 11 कुल क्षेत्रफल 3.7053 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/13, 160/20, 160/25, 160/31, 160/7, 173/7, 247/16, 247/22, 247/7, 430/7, कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.6890 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/14, 160/17, 160/37, 160/39, 160/6, 173/6, 247/12, 247/6, 247/8, 430/6, कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.6971 हैक्टेयर भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढी करवाने जाने का तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमाने एवं खसरा नम्बर 160 में रखे गये शामलाती रास्ते की भूमि को छोड़ते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में जवाब दावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के हक हिस्से में आयी भूमियो का राजस्व ट्रेस नक्शे अनुसार ही सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है एवं यह भी निवेदन किया है कि उक्त खसरान में किसी प्रकार के कोई शामलाती रास्ते छोड़े हुए नही हैं। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी सं. 2, 5, 7, 8, 6 ने अपनी बहस में जवाब दावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा विधिवत् नही होकर राजस्व अभियान में बिना कब्जे की जांच की जाकर राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बनावटी तथ्यो पर आधारित होने से मय खर्चे हर्जे के खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया हैं।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं जवाब अप्रार्थीगणो का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नानण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा 160/18, 160/29, 160/33, 160/4, 160/9, 173/4, 247/18, 247/23, 247/4, 430/4, कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.7052 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/15, 160/16, 160/3, 160/30, 160/36, 173/3, 173/9, 247/11, 247/13, 247/3, 430/3, कुल खसरा 11 कुल क्षेत्रफल 3.6972 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/11, 160/2, 160/22, 160/27, 160/32, 173/2, 247/17,

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

247/2, 247/20, 430/2, कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.6972 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/1, 160/12 160/21, 160/24, 160/38, 173/1, 173/10, 247/1, 247/10 247/15, 430/1 कुल खसरा 11 कुल क्षेत्रफल 3.7053 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/13, 160/20, 160/25, 160/31, 160/7, 173/7, 247/16, 247/22, 247/7, 430/7 कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.6890 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160/14, 160/17, 160/37, 160/39, 160/6, 173/6, 247/12, 247/6, 247/8, 430/6, कुल खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 3.6971 हैक्टेयर भूमि का टीम गठित कर नाप चौप व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करावें। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकोष में जमा करावे। तहरीर जारी हो बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर